



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



राजेश कुमार, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

पत्रांक:SHSB/PM/620/2024/3032

प्रेषित,

M/s Radhika Express Services

12, Sadanand Bhawan, HP Bhamechari Road, Guwahati 781008

पटना, दिनांक 22/07/2025

विषय: जिला अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री का परिवहन करने हेतु 'मुफ्त औषधि वाहन' के परिचालन बाधित रहने के संबंध में।

प्रसंग: BMSICL का पत्रांक 3974, दिनांक 16.07.2025

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है BMSICL के प्रासंगिक पत्र द्वारा सिविल सर्जन, अररिया, समस्तीपुर, किशनगंज एवं पटना से प्राप्त का संदर्भ लेते हुये सूचना दी गई है कि राधिका एक्सप्रेस सर्विस द्वारा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में वाहनों का संचालन नियमित रूप से नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिलों के अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जिला औषधि भंडार में दवाएँ भंडारित रह जाने के कारण जिला भंडार में जगह का अभाव हो रहा है। संबंधित जिलों के सिविल सर्जन द्वारा BMSICL से अनुरोध किया गया है कि BMSICL के क्षेत्रीय भंडार से जिला औषधि भंडार में औषधियों की आपूर्ति तत्काल नहीं किया जाय।

जिला भंडार द्वारा जिलान्तर्गत संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में ससमय दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण मरीज को दवा नहीं मिल पायेगी तथा कुछेक औषधि तिथिवाद होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति आपत्तिजनक एवं एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन है।

2. इसी प्रकार जुमई जिला में दिनांक 14.07.2025 से L1 एवं L2 वाहन का परिचालन बाधित है, जिसकी स्वीकारोक्ति एजेन्सी के जिला लॉजिस्टिक समन्वयक द्वारा लिखित रूप से किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

3. सिविल सर्जन, सिवान के पत्रांक 767, दिनांक 06.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि सिवान जिला को आवंटित चार वाहन का परिचालन 01 जून, 2025 से 06 जून, 2025 तक शून्य रहा है। साथ ही, एक L2 वाहन का परिचालन पूरे मई, 2025 माह में शून्य रहने की सूचना से अवगत कराया गया है(छायाप्रति संलग्न)।

4. सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक 855, दिनांक 14.07.2025 द्वारा दिनांक 27.06.2025 से तीन L2 वाहन एवं दिनांक 30.06.2025 से एक L1 वाहन का परिचालन बन्द होने की सूचना से अवगत कराया गया है। सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कई बार आपसे दूरभाष पर वार्ता की गई एवं पत्र के माध्यम से सूचित किया गया, परन्तु आपके द्वारा दिनांक 14.07.2025 तक वाहनों का परिचालन नहीं किया जा सका(छायाप्रति संलग्न)।

5. सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक 1261, दिनांक 12.07.2025 द्वारा दो L1 वाहन एवं तीन L2 वाहन का परिचालन बाधित रहने की सूचना से अवगत कराया गया है। वाहनों के परिचालन बाधित रहने के कारण भागलपुर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि की आपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। फलतः स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि की कमी के साथ-साथ जिला औषधि भंडार में औषधियों का अतिरेक भंडारण से जगह की कमी होने की सूचना भी दी गई है(छायाप्रति संलग्न)।

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>

(2)



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



(2)

संचिका SHSB/PM/620/2024

6. सिविल सर्जन, नवादा को सम्बोधित फर्मासिस्ट, जिला औषधि भंडार के पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि तीन मुफ्त औषधि वाहन के चालक एवं लोडर दिनांक 17.07.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। फलतः वाहन का परिचालन बाधित है और स्वास्थ्य संस्थानों दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है (छायाप्रति संलग्न)।
7. सिविल सर्जन, भोजपुर के पत्रांक 1372 दिनांक 19.07.2025 द्वारा राधिका एक्सप्रेस सर्विस को सूचित किया गया है कि विगत तीन माह से DLC मुख्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति भोजपुर से बाहर है। DLC के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा वाहनों के परिचालन का कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है और वे सिर्फ मोबाईल पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक से वार्ता करते हैं। भोजपुर जिला के किसी भी वाहन में कोई लोडर नहीं दिया गया है। DLC द्वारा DPM को कहा गया है कि ड्राइवर ही लोडर का भी कार्य करेंगे। यह स्थिति और वक्तव्य अनुबंध की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। सिविल सर्जन, भोजपुर के पत्रांक 1371 दिनांक 19.07.2025 द्वारा आपसे L2 वाहन संख्या BROGP-3165 का परिचालन विगत 15 दिनों से बाधित रहने के कारण स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया है, परन्तु आपके स्तर से अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आपका यह कृत्य आपकी स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है (छायाप्रति संलग्न)।
8. सुपौल जिला में L1 वाहन संख्या BR01GP3143 एवं L2 वाहन संख्या BR01GP7663 के चालकों द्वारा वाहन का परिचालन ठप कर दिया गया है। विदित है कि सिविल सर्जन, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित प्रखंडों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में दवा की आपूर्ति ससमय करने में बाधा आ रही है।
9. वैशाली जिला द्वारा भी अवगत कराया गया है कि L2 वाहन विगत 08 दिनों से हड़ताल पर चले गये हैं और वाहन का परिचालन ठप कर दिया गया है।
10. जमुई जिला में मुफ्त औषधि के सभी वाहन का परिचालन विगत 08 दिनों से बंद रहने की सूचना प्रतिवेदित की गयी है।
11. कैमुर जिला में मुफ्त औषधि के एक L2 वाहन का परिचालन विगत 03 दिनों से बंद रहने की सूचना प्रतिवेदित की गयी है।
12. बाकां जिला द्वारा वाहन संख्या BR1GP3281 एवं वाहन संख्या BR1GP3277 बंद रहने की सूचना से अवगत कराया गया है।
13. इसी प्रकार नवादा जिला एवं नालंदा जिला में भी वाहनों का परिचालन बंद रहने की सूचना प्रतिवेदित की गयी है।
14. सिविल सर्जन, सारण के द्वारा के अवगत कराया गया है कि दिनांक 12.07.2025 से L1 एवं L2 वाहन का परिचालन बाधित है। इसी प्रकार दिनांक 17.07.2025 को समस्तीपुर के चार वाहन, कैमुर जिला के एक वाहन एवं अररिया जिला के तीन वाहन का परिचालन बाधित रहा है।
15. उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित एजेन्सी के कृत्य के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी एवं लोकोपयोगी योजना प्रभावित हो रही है। एजेन्सी के टाल-मटोल की नीति के कारण मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाने वाली औषधियों के स्वास्थ्य संस्थान में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई, फलतः मरीजों को निःशुल्क दवा से वंचित होना पड़ा है। एजेन्सी का यह कृत्य एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन है।
16. एकरारनामा के अनुसार मुफ्त औषधि वाहन के परिचालन का राज्य स्तर पर Transport Management System (TMS) डैशबोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण करने हेतु एजेन्सी को State Logistic Management Unit (SLMC) स्थापित करते हुये competent personnel की प्रतिनियुक्ति किया जाना था।

जीवन्त बिहार... सपना हो साफ़





परन्तु आज की तिथि तक एजेन्सी द्वारा SLMC को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका है। यह एकरारनामा की कंडिका 2(I)(F) का उल्लंघन है।

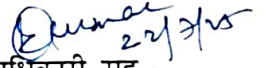
17. कई जिलों से वाहन के चालक के अनुपस्थित एवं परिवर्तन होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जबकि एकरारनामा की कंडिका 5(I) के अनुसार चालक के बदलने की पूर्व सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति को दिया जाना है।

18. कई जिलों में दवाओं के loading में अनावश्यक विलंब होने की सूचना प्राप्त हो रही है। दवाओं के विलंब से loading होने के कारण स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और स्वास्थ्य संस्थानों के coverage percentage पर भी बुरा असर पड़ा है। एजेन्सी का यह कृत्य एकरारनामा की कंडिका 2(I)(B) एवं 2(I)(E) का उल्लंघन है।

19. उक्त से स्पष्ट है कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की सेवा संतोषजनक नहीं है और एकरारनामा में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

20. अतः पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित समस्याओं पर सुधारात्मक कार्रवाई करते हुये निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, दिनांक 25.07.2025 तक कंडिकावार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित तिथि तक उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

अनुलग्नक : यथोक्त।


प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, प्रोक्योरमेंट